न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक आर................/2016/ सागर R-4238-I/16

नाथूराम पिता हल्कू काछी निवासी–ग्राम रिछावर, तहसील व जिला सागर (म0प्र0)।

– प्रार्थी

विरूद्ध

1. लूलीबाई उर्फ सरस्वती बाई पिता हरलाल पटेल, निवासी साकिन मेनपानी, तहसील व जिला सागर (म0प्र0।
2. वतीबाई उर्फ रामवती पिता हरलाल पटेल, निवासी–जगदीश वार्ड गढ़ाकोटा तहसील गढ़ाकोटा जिला सागर (म0प्र0)
3. नर्मदा बाई पिता हरलाल पटेल निवासी–गढ़ाकोटा तहसील सागर (म0प्र0)

प्रतिप्रार्थीगण

निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 विरूद्ध आदेश अपर आयुक्त सागर के प्रकरण क्रमांक 194/अ–6/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 01.12.2016 ।

श्रीमान् जी

प्रार्थी की ओर से निगरानी प्रार्थना पत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत है :–

(1) यहकि, अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान् अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के समक्ष द्वितीय अपील के साथ धारा 52 का आवेदन पत्र पर विधिवत अवलोकन व विचार किये बिना निरस्त करने में गम्भीर वैधानिक त्रुटि की है।

(2) यहकि, प्रार्थी के हित में वसीयत के आधार पर दिनांक 03.12.2010 को प्रतिप्रार्थीगण के सहमति शपथ पत्र के आधार पर नामान्तरण आदेश पारित किया है।

क्रमशः...........2

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश – ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ---------

निगरानी प्रकरण क्रमांक 4238-एक/2016 जिला सागर

स्थान तथा दिनॉक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एंव अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
19.12.16	अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर के प्रकरण क्रमांक 194 अ-6/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 1-12-16 के विरूद्ध यह निगरानी मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत हुई है। 2/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर आवेदक के अभिभाषक के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अंतरिम आदेश दिनांक 1-12-2016 का अवलोकन किया गया। 3/ आवेदक के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 1-12-2016 के अवलोकन पर स्थिति यह है कि आवेदक ने अनुविभागीय अधिकारी सागर व्दारा प्रकरण क्रमांक 342/अ-6/12-13 में पारित आदेश दिनांक 8-11-16 के विरूद्ध अपर आयुक्त के समक्ष अपील प्रस्तुत करते हुये अपील मेमो के साथ मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 52 का आवेदन देकर स्थगन मांग की है जिसे अपर आयुक्त व्दारा व्दारा निरस्त कर दिया है। मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 52 में दी गई व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण की स्थिति यह है कि विचाराधीन प्रकरण में यदि स्थगन नहीं दिया जाता है तब निश्चित् है कि वरिष्ठ में मामला प्रचलित रहते यदि अधीनस्थ न्यायालय के आदेश का क्रियान्वयन हो जाता है – पक्षकार	

को परेशानी उत्पन्न होना स्वभाविक है। संहिता की धारा 52 में दी गई व्यवस्था अनुसार पीठासीन अधिकारी को मामले की भीतरी तह में जाकर विचार करना चाहिये। इस प्रकरण में अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर ने आदेश दिनांक 1-12-16 पारित करते समय इसका ध्यान नहीं रखी है।

4/ उपरोक्त कारणों से निगरानी ऑशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों के कियान्वयन पर आगामी तीन माह तक के लिये रोक लगाई जाती है तथा अपर आयुक्त सागर संभाग, सागर को आदेश दिये जाते हैं कि वह हितबद्ध पक्षकारों को श्रवण कर अपील प्रकरण का निराकरण आगामी 90 दिवस के भीतर करें। प्रकरण में अन्य कार्यवाही शेष न रहने से अंक से कम कर रिकार्ड रूम में जमा किया जाय।

सदस्य